

3<sup>11</sup>/<sub>22</sub> पन्नावली डाक वास्ते निर्माण पेशा हुमी/वकुलाम  
उन्नम पञ्ज उप०) पन्नावली में बहस पूर्व में  
सुनी जा चुकी है। कौराने बहस वकील प्रार्थी  
ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का सारगर्भित विवेचन  
कर कथन किया कि रव. नं. 482 ग्राम  
जाटाहाला में न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश  
के बावजूद आतेवृत्त कर बैजी से निर्माण  
किया जा रहा है, जिसे पुलिस इमदाद से  
रुकवाया जावे। बहस का जवाब देते हुए  
वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र का  
दोहरान कर कथन किया कि हमारे  
द्वारा रव० सं० 482 में कोई निर्माण कार्य  
नहीं किया जा रहा है। श्र. आर्जे. निरी.  
की मॉका रिपोर्ट दिनांक 26.04.21 से भी  
स्पष्ट है। रिपोर्ट की प्रति परबन्त बहस  
प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी  
स्वारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र,  
दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।  
बहस उन्नम पञ्ज पर भनन किया गया।  
श्र. आर्जे. निरी. की मॉका रिपोर्ट  
नंबर रिपोर्ट दिनांक 26.04.2021 से  
स्पष्ट है कि रवसरा नं. 482 में कोई  
निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी  
ने भी निर्माण कार्य होने का कोई  
दस्तावेज, साक्ष्य पेशा नहीं किया  
गया। अतः प्रार्थना पत्र इस स्तर  
पर पोषणीय नहीं होने से स्वारीज  
योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वारीज

(बृजेश कुमार)  
सुपरीण्ड अधिकारी  
न्यायालय (सीकर)

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

नम्बर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

फर्द निर्णित किया जाता है पत्रावली  
बाद फेसल शुमार नम्बर से फर्द हो  
दफ्तर दारकेल हो।

निर्णय तरे इजलास सुनाया गया।

(R)

( प्रवेश कुमार )

उपरवण्ड अधिकारी

नीमकाथाना

उपरवण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)